

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सामने, केन्द्रीय पौधशाला, भरतपुर - 321001 (राज.)

फोन : 05644-226017, 227518 ई-मेल : ccf.bhp.forest@rajasthan.gov.in

कमांक एफ () 2022-23/एफसीए/मुवसभ/ 4332

दिनांक 21-06-22

निमित्त,

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,
एफ.सी.ए., राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Laying of underground optical fiber cable along the NH-21 (old NH-11) road within the existing row from Mahuwa to via Halena- Bharatpur. Online Proposal No.- FP/RJ/OFC/47243/2020

संदर्भ:- आपका ऑनलाईन ई.डी.एस. दिनांक 08.06.2022 व उप वन संरक्षक, भरतपुर का पत्रांक 3731 दिनांक 31.05.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि आलौच्य प्रत्यावर्तन प्रकरण में आपके ऑनलाईन ई.डी.एस. दिनांक 08.06.2022 से प्राप्त आक्षेप की उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से निम्नानुसार पूर्ति कर प्रस्ताव ऑनलाईन इस कार्यालय को प्रेषित किया है :-

S.No.	Stipulated EDS	Compliance
1.	The proposed OFC has to be laid in existing ROW, then why CA schemes and CA documents are uploaded while CA scheme is not applicable in OFC cases of ROW. Please clarify.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के पत्रांक File No. 8b/raj017/2022-jpr Dated 27.04.2022 के आक्षेप बिन्दु संख्या i. Details of CA is not uploaded on PARIVESH Portal. Thus, State Govt. is requested to submitted CA area along with CA scheme, CA map and KML file as per para 2.8 (iii) of FCA Handbook, 2019. वी अनुपालना में उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा CA scheme अपलोड की गयी थी। यदि उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर CA scheme लागू नहीं होती है तो CA scheme अपलोड करने अथवा नहीं करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। प्रस्ताव में तदानुसार मार्गदर्शन अनुरूप कार्यवाही कर दी जावेगी।

अतः उक्तानुसार आक्षेप पूर्ति उपरांत प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु ऑनलाईन प्रेषित है।

भवदीय

(डॉ. सी. आर. मीणा)
वन संरक्षक (एम.एण्ड.ई.)
भरतपुर



कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक/एफ () एफसीए /उपसं/2022/
निमित्त

4084

दिनांक : 10/6/22

मुख्य वन संरक्षक
भरतपुर

विषय:- "Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the NH-21(old NH11) Road Within the Existing Row from Mahuwa to Via Halena -Bharatpur.

सन्दर्भ:- आपका दिनांक 08.06.2022 को प्राप्त के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि Diversion of "Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the NH-21(old NH11) Road Within the Existing Row from Mahuwa to Via Halena -Bharatpur. (FP/RJ/OFC/47243/2020) के सम्बन्ध में दिनांक 08.06.2022 को प्राप्त आक्षेप के संबंध में इस कार्यालय की टिप्पणी निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आक्षेप	पालना रिपोर्ट
1	The proposed OFC has to be laid in existing ROW, then why CA schemes and CA documents are uploaded while CA scheme is not applicable in OFC cases of ROW: Please clarify.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के पत्रांक File no. 8B/RAJ017/2022-JPR Dated 27.04.2022 के आक्षेप विन्दु संख्या i. Detail of CA is not uploaded on Parivesh Portal. Thus, state govt. is requested to submitted CA area along with CA Scheme, CA maps and KML file as per para 2.8 (iii) of FCA Handbook, 2019. की अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा CA schemes अपलोड की गई थी। यदि उक्त प्रपोजल पर CA schemes लागू नहीं होती है तो इस कार्यालय को CA schemes अपलोड करने अथवा नहीं करने के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें

(अभिमन्यु सहारण)
उप वन संरक्षक
भरतपुर